फर्द अहकाम

[2022/137]

सहायक कलक्टर चौमू

भगवान सहाय बनाम कुलदीप

ख्या / वर्ष T.C. II nd 59 / 2022

अन्तर्गत धारा 212 रा. Act.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/7/22	श्री सत्यनारायण सैनी वकील ने द्वितीय प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। रिपोर्ट आ चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। प्रा. पत्र में उपलब्ध तथ्यों / साक्ष्यों व प्रस्तुत एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रा. पत्र में वर्णित ख. नं. 520/2 गै.मु. रास्ता व ख.नं. 525/2 गै.मु. चाह तथा ख.नं. 1698/526 रकबा 0.10 हैं. भूमि का है। ख.नं. 1698/526 रकबा मात्र 0.10 है. है तथा गै. मु. चाह व गै.मु. रास्ता की भूमि पर स्थगनादेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल रहे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema
Date: 2022.12.19 12:27:22
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

प्रा0प0 संख्या :–59/2022

भगवानसहाय पुत्र स्व0 श्री नानूराम, उम्र 41 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थी/वादी

बनाम

1. कुलदीप पुत्र मुक्तिलाल, जाति महाजन, निवासी शक्ति डिलक्स, फ्लैट नं0 203, दूसरा ताला धनबाड़, झारखण्ड।
2. गुलाब देवी पुत्री फूलाराम
3. चौथमल पुत्र फूलाराम
4. छीतरमल पुत्र फूलाराम
5. जीवणी देवी पत्नि फूलाराम
6. नानूराम पुत्र उदाराम
7. बंशीधर पुत्र पदमाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. उपतहसीलदार गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

द्वितिय प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांकः– 29.07.2022

प्रार्थी/वादी की ओर से द्वितीय प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.09.2022 नियत है। उक्त वाद पत्र के साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी विचाराधीन है जिस पर न्यायालय श्रीमान ने एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.07.2022 को पारित कर पक्षकारान [illegible] असथायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया गया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 1698/526 रकबा 0.10 है0 भूमि वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khet
Date: 2022.12.19 12:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। इसी दौरान अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त विवादित भूमियों का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही बेचान की गई भूमि का नामान्तकरण खुलवाने तथा पुनः विवादित भूमियों को बेचान, हस्तान्तरण करने की दिनांक 25.07.2022 को धमकी दी गई, जिस कारण प्रार्थी/वादी को उक्त द्वितीय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के खाता सं0 60 के खसरा नं0 520/2 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 525/2 रकबा 0.02 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि तथा खाता सं0 129 के खसरा नं0 1698/526 रकबा 0.10 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि विवादग्रस्त है। विवादित आराजियात प्रार्थी/वादी व अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त विवादित आराजियात के खाता सं0 60 में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 1/8 व खाता सं0 129 में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 8/73 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान भूमि आराजी खसरा नं0 520/2 में रोड़ डली हुई है जो वर्तमान में चालू है। उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत रुप से तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मनबंट के अनुसार भूमि का विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 से सम्पर्क कर विवादित आराजियात का कब्जेकाश्त के आधार पर विधिवत तकासमा करवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर वे उग्र हो गये तथा प्रार्थी/वादी को विधिवत तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजियात का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 द्वारा दिनांक 25.07.2022 को विवादित भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी गई तथा शीघ्र ही बेचान की गई भूमि का नामान्तकरण खुलवाकर विवादित भूमियों का पुनः बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई, जिस कारण प्रार्थी/वादी को उक्त द्वितीय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 विवादित आराजियात की बिना विधिवत तकासमा करवाये किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करे, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 8 विवादित आराजियात बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khe
Date: 2022.12.19 12:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर तस्दीक नहीं करें तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 9 व 10 राजसव रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही नामान्तकरण खोलें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें व ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/वादी उपस्थित। वकील प्रार्थी/वादी की एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी/वादी की बहस पर मनन किया गया। मूल वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसमें पक्षकारों का विधिवत तकासमा किया जाना है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 520/2 गै0मु0 रास्ता, खसरा नं0 525/2 गै0मु0 चाह तथा खसरा नं0 1698/526 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि है। उक्त भूमि में से खसरा नं0 1698/526 रकबा 0.10 है0 है तथा खसरा नं0 520/2 गै0मु0 रास्ता, खसरा नं0 525/2 गै0मु0 चाह की भूमि पर स्थगन आदेश दिया जाना न्यायालय अभिमत में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा का द्वितीय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले नयायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kh
Date: 2022.12.19 12:27:22 IS
Reason: SelfAttested